



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276279
CG-DL-E-17092026-276279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4767]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4767]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4957(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद्वारा मध्य स्थनियुक्त करती है जो उक्तसारणी के कॉलम (3) और(4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• खोर्धा	उड़ीसा
2	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• पूरी	उड़ीसा
3	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• जगतसिंहपुर	उड़ीसा

4	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• केन्द्रपाडा	उड़ीसा
5	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• कटक	उड़ीसा
6	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	• डेंकानाल	उड़ीसा

[फा. सं. : NHAI/11017/1/LA /ARB/PIU-Bhubaneswar, Odisha/Newly Proposed-Coastal/CRRR/ Cuttack-Kandarpur/Green Field.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4957(E).— In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

Table

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Collector & District Magistrate.	• KHORDHA	ODISHA
2	Collector & District Magistrate	• PURI	ODISHA
3	Collector & District Magistrate	• Jagatsinghpur	ODISHA
4	Collector & District Magistrate	• KENDRAPARA	ODISHA
5	Collector & District Magistrate	• Cuttack	ODISHA
6	Collector & District Magistrate	• DHENKANAL	ODISHA

[F. No.: NHAI/11017/1/LA /ARB/PIU-Bhubaneswar, Odisha/Newly Proposed-Coastal/CRRR/Cuttack-Kandarpur/Green Field]

SHAIKH AMINKHAN, Director